प्रेषक.

संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

सेवा में.

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र—2 संमुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार, नई दिल्ली

पत्र संख्या-नि0-2/एन०ओ०सी०/ — /2017-18 दिनांक 28/06/30/1 विषय- एलन हाउस पब्लिक स्कूल सेक्टर ६, एच०एस०-01 वृन्दावन योजना लखनऊ को सीवबी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापिता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या—1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई०सी०एस०ई०) नई दिल्ली/सेन्ट्रल, बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29. 06.2017 को आयुक्त लखनक मण्डल लखनक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एलन हाउस पब्लिक स्कूल सेवटर 6, एच०एस०-01 वृन्दावन योजना लखनक की सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपिता नहीं है।

1. विद्यालय की गंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

उ. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशन स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेंगी।

 संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

 कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहप्र्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

 शासन/प्रशासन/विभाग द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।

9. जनिहत याचिका संख्या—483/2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पास्ति माठ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सीठबीठएसठईठ, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु मलीमाँति प्रशिक्षित है।

Proceeding 29-06-2017

Manager
Allenhouse Public School
6 - C Vrindavan, Lucknow



 उपर्युक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2— उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति ब्रमाण पुत्र वापस ले लिया जायेगा।

मवदाय,

(दीप चन्द) संयुक्त शिक्षा निदेशक,

षष्ठ भण्डल, लखनक / सदस्य सचिव

पृंठसं०–निo–2/एन०ओं०सी०/3893–९०) वष्ठ मण्डल, लखनऊ /2017–18 दिनांक उक्तवत् प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

- 1. शिक्षा सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2. आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
- 3. जिलाधिकारी लखनऊ।
- 4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- प्रबन्धक, एलन हाउस पब्लिक स्कूल सेवंटर ६, एच०एस०-०1 वृन्दावन योजना लखनऊ।

. ८. गार्ड फाइल

(दीप चन्च) 20 (८) च प्रयुक्त शिक्षा निर्देशक, वष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

Manager
Allenhouse Public School
6 - C Vrindavan, Lucknow

Proceeding 29-06-2017